ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

जनजातीय विकास की दशा और दिशा

मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस., कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

सार

भारत के दुर्गम क्षे़=ों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर हैं। तथापि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए रखे हुए हैं। संक्रमण और संघर्ष के दौर में भी ये जनजातियाँ अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। अज्ञानता, अभाव, अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास एवं अन्य कुरीतियाँ आज भी जनजातीय समाज में व्याप्त है। राष्ट्र के निर्माण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि, देश का सन्तुलित विकास हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि, भारत की जनसंख्या का एक वर्ग ऐसा है, जो जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के कारण विकास से बहुत दूर है। आदिवासी समाज आज की इस दौर में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जो इस जनजाति के अस्तित्व और पहचान के लिए अत्यंत खतरा है। इस समुदाय के लोगों से विकास के नाम से उनकी जल, जमीन, जंगल छिनी जा रही है। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद भी उन्हें उसी जंगल से बाहर निकालकर बेदखल किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों की बसावट से इस समुदाय की भाषा, संस्कृति, पर्यावरण लुप्त होने के कगार पर आ गई है।

शब्द सूची जनजातिय विकास, अस्मिता, सांस्कृतिक चेतना, कल्याणकारी योजनाएं.

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से आदिम जनजातियाँ जंगलों, पहाड़ियों में निवास करती हैं। उनकी जीवन पध्दती, संस्कृति एवं प्रकृति पर निर्भर होती है। प्रकृति की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। भारत में ऐसे विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। भारत के दुर्गम क्षे़=ों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर हैं। तथापि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए रखे हुए हैं। पुरातात्विक अथवा साहित्यिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करता हैं कि, भारत के मूलनिवासी यही जनजातियाँ थी। प्राचीन काल से वर्तमान आधुनिक सभ्यता तक ये जनजातियाँ अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवन्त बनाए रखने में सफल रही है। संक्रमण और संघर्ष के दौर में भी ये जनजातियाँ अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। अज्ञानता, अभाव, अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास एवं अन्य कुरीतियाँ आज भी जनजातीय समाज में व्याप्त है। 'भारत सरकार के नृतात्विक सर्वेक्षण विभाग 1967 ने भारत में 314 प्रकार की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पता लगाया है। 1951 में भारत में 212 प्रकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की गयी थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या संसद की विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार घटती–बढ़ती रहती

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 550 से भी ज्यादा है।'1 मानव विकास के इतिहास से स्पष्ट होता है कि मानव हजारों वर्षो में विकास की एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुँच सका है। एक लंबे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जंगली जानवरों के शिकार, फल–फूल और पत्तो के द्वारा अपनी उदर पूर्ती करते थे। गुफाएँ जंगल और घने वृक्ष ही इनके आवास थे। कृषी का अविष्कार और पशुपालन का आरंभ होने से विभिन्न मानव समूहों ने स्थानीय रूप से किसी विशेष भू–भाग पर रहना आरंभ कर दिया।

विभिन्न मानव समूहों के विकास की प्रक्रिया भी एक–दूसरे से भिन्न रही। कुछ समूहों को अपने क्षेत्र में विशेष संसाधन मिल पाने से वे तेजी से आगे बढ़ गये, जबकि अनेक मानव समूह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण एक सरल जीवन व्यतीत करते रहे। इन्हीं सरल समाज को जनजातीय अथवा आदिम समाज कहते हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जनजातियों को देश के पिछड़े हुए वर्ग में रखा गया है। भारत में जनजातियों के वितरण की दृष्टी से जनजातीय संख्या किसी भी देश से कम नहीं है। भारत भोगौलिक दृष्टी से विशाल आकारवाला देश है। राष्ट्र के निर्माण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि, देश का सन्तुलित विकास हो। सन्तुलित विकास से आशय उस देश में निवास करने वाली समग्र जनसंख्या के समग्र विकास से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि, भारत की जनसंख्या का एक वर्ग ऐसा है, जो जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के कारण विकास से बहुत दूर है।

जनजातियों का विकास करने हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। तथा इनके विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। यद्यपि इन के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के प्रयास अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ किए गए। परंतु इन प्रयासों में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। क्योंकि अंग्रेजों ने जनजातियों के पृथक्करण की नीति को अपनाकर देश के सभी कानूनों को जनजातियों पर लागू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय विकास एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में सुधार के लिए अनेक विशेष कदम उठाए गए। संविधान में कई ऐसे धाराएं हैं, जो केवल अनुसूचित जनजातियों पर ही लागू होते हैं। 'आदिवासियों में कारूण्य, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकारवृत्ती, चारित्र्य, अपरिग्रह और निसर्गनिष्ठा आदि गुण विद्यमान है। यह सारे गुण उनके अलिखित धर्म की देन है। आज भी दूसरों के प्रति आदिवासियों का व्यवहार समत्व, ममत्व एवं मित्रता से परिपूर्ण है।'2 भारत का सम्पूर्ण विकास करना है तो, पहले इस आदिम समुदाय का भी विकास करना होगा। आदिम समुदाय से आषय उन जनजातियों से है, जो आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से पिछड़ी हुई हैं। ये जनजातियाँ वनों और पर्वतों में अनेक सालों से निवास करने के कारण इन्हे आदिवासी, जनजाति, आदिम जाति, वन्य जाति, वनवासी आदि नाम से पुकारा जाता हैं।

भारत वर्ष की संस्कृति और सभ्यता की सम्पूर्णता अपने आप में अनूठी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के मूलनिवासियों की विविध सांस्कृतिक अस्मिता है। जो अपने आप में अक्षुण्ण है। वहीं इनकी एकात्मकता भारतीय अस्मिता की परिचायक है, इसलिये भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। विभिन्न प्रजातीय तत्वों का मिश्रण होने के कारण इसे कभी – कभी प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहाँ के वन प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करनेवाले अनेक

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

मानव समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणों से पृथक रह गये। फलतः विकास का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इन दुर्गम और पृथक क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदाय सभ्यता के विकास की दृष्टि से अभी तक प्रारंभिक सोपानों पर ही जीवन जीते हुए नजर आते है। इन्हीं समुदायों के लोगों को, विकसित लोगों ने, आदिवासी, जनजाति, आदिमजाति, वन्यजाति, जंगली, वनवासी इत्यादि नामों से चिह्नित कर दिया। इनमें से प्रत्येक समुदाय का अपना नाम है, जिससे इन्हें चिह्नित किया जा सकता है। लेकिन इतिहास की विडम्बना ने इन सम्पूर्ण समुदायों को आदिवासी, मुलनिवासी या जनजाति की संज्ञा दे दी है। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से यह पता चलता है कि, अंग्रेजी शासन ने जहाँ–जहाँ प्रवेश किया, वहाँ के निवासियों को अपने से अलग करने हेतु उन्हें ''ट्राइब'' की संज्ञा दी गयी हैं।

आदिवासी या जनजाति शब्द सुनते ही एक ऐसी कल्पना उभर कर सामने आती है, जो विकास से अत्यंत ही दूर आधुनिक समय की व्यवहार, कला और भौतिक जीवन से अपरिचित शहरों से दूर, निसर्ग की पर छाया में शांत और एकांत वातावरण में पल्लवित होकर आनंदी जीवन जीने वाली जनजाति है। इस जनजाति की संस्कृति, सामाजिक जीवन, कला और जीवनचर्या अत्यंत ही वैशिष्टयपूर्ण होती है। अपनी इसी विशेषता के कारण इस जनजाति के रीति–रिवाज, रहन–सहन और आचार–विचार, वेशभूषा सामाजिक परंपराएं, गीत, संगीत, वाद्ययंत्र सदैव ही कथित सभ्य समाज के आकर्षक का केंद्र रहा है। एक समुदाय की संस्कृति दूसरे समुदाय की संस्कृति को अपने बाह्य रूपों से प्रभावित एवं पल्लवित करती आई है। यही कारण है कि किसी भी संस्कृति का वास्तविक स्वरूप पूर्णता स्पष्ट नहीं हो जाता है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी आज जनजातीय समुदाय सभ्य समाज में अपनी पहचान कायम रखने में सफल होती हुई नजर आती है। भारत में जनजातियों को लेकर कई अध्ययन हुए मगर सबसे पहला जनजातियों का अध्ययन में हरबर्ट रिजले द्वारा किया गया है। इस अध्ययन में उन्होंने जनगणना से प्राप्त निष्कर्षों को सन 1915 में अपनी पुस्तक 'द पीपुल ऑफ इंडिया' में प्रस्तुत किया था। अपने अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हरबर्ट रिजले ने स्पष्ट किया है कि, द्रविड़ भारत देश की मूल प्रजाति है। हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहनेवाले आदिवासियों को तथाकथित सभ्य कहे जानेवाले लोगों से न के बराबर ही संपर्क रहा है। जंगलों, पहाड़ों में निवासरत जनजातिय समाज की मुख्यधारा के समाज से अलग स्वतंत्र संस्कृति एवं सभ्यता है।

जनजातिय समाज बरसों से जंगल में रहकर आनंदी जीवन यापन करती थी। पर्यावरण की रक्षा करते हुए निसर्ग के पंचमहाभूतों की पूजा करते हुए अपना जीवन यापन करती थी। जनजातियों के द्वारा हजारों सालों से विभिन्न प्रकार के नए संसाधनों की रक्षा करते आ रहे थे। भारत में अंग्रेजो के आगमन होने के बाद से उन्हें इस नैसर्गिक संसाधनों का पता लगा और उन्होंने उस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए धीरे–धीरे आदिवासी इलाकों पर हमला करने लगे। आदिवासियों द्वारा इस हमले का कड़ा विरोध करके उन्हें वहाँ आने ही नहीं दिए। फिर से उन्होंने दूसरा तरीका अपनाने की शुरुआत की जो अभी भी शुरू है। आदिवासियों के जंगल, जमीन और नैसर्गिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विकास के नाम पर धीरे–धीरे जंगल से बाहर करके उनकी जल, जंगल, जमीन यहाँ ठेकेदार, वकील, जमीनदार, पुलिस, जंगल कर्मचारी, पटवारी इनके द्वारा जबरदस्ती से शोषण

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

होने लगा है। इस शोषण से आदिवासियों की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है। स्वतंत्रता के 72 सालों के बाद भी आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, नैसर्गिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें जबरन जंगल से बाहर किया जा रहा है। कभी लाठी से तो कभी विकास की लालच दिखाकर, कभी नक्सलवादियों के लक्ष्य बनाकर सरकार द्वारा आदिवासियों पर हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। इस हमले का प्रतिकार करने के लिए उनके पास कोई अत्याधुनिक शस्त्र नहीं होने के कारण उनका इस हमले से हार होते जा रहे हैं। सरकार और ठेकेदारों द्वारा उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।

जनजातीय विकास की दिशा

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार और ठेकेदारों द्वारा निर्बल आदिवासियों का शोषण करता आया है। इस शोषण को रोकना है तो, इस समाज को केवल विकास के अवसर प्रदान करने से नहीं होगा, बल्कि उनमें विकास के लिए चाहत और आवश्यक तैयारी भी करनी होगी। तब जाकर कहीं न कही सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होने के कारण भारतीय गणराज्य में उस संविधान की कानूनों के अनुसार प्रशासन चलता है। संविधान के विभिन्न धाराओं के माध्यम से जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति बनाए रखने की तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इस तरह से सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मगर सारी प्रयासों के माध्यम से जनजातियों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि विकास करने की सही दिशा नहीं होने के कारण स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी जनजातियों की यह स्थिति दिखाई देती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से ही जनजाति में विकास करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभ में आदिम जनजाति की संरक्षण हेतु संविधान एवं प्रशासनिक प्रावधान किए गए। साथ ही आज तक प्रत्येक पंचवार्षिक योजना के माध्यम से विकास के विभिन्न प्रतिमान और समय–समय पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। इस तरह से विगत सात दशकों से जनजातीय विकास का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक नीतियों का क्रियान्वयन तथा विविध समीक्षा एवं निगरानी का क्रम जारी है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जनजातीय विकास के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकलता है कि, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकारी प्रयास संतोषजनक नहीं है। भ्रष्टाचार, लाचार आपूर्ति की व्यवस्था जनजातिय समुदाय की आवश्यकता एवं समस्याओं की अनदेखी तथा कार्यों में समुदाय की सहभागिता का अभाव ऐसे विभिन्न कारणों के माध्यम से अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न किया गया है। इसके पश्चात इस समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, अनउपजाऊ भूमि, अस्वच्छता तथां रोजगार का अभाव इस तरह के कई कारण भी इस समुदाय को विकास से दूर रखता है।

जनजातीय विकास की दशा

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर इन प्रयासों के बावजूद भी जनजातियों में विकास नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि, सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू कि जाती है, उन तक पहूँच नही पाती। आज भी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के भामरागढ़ तहसील में कोई कर्मचारी, अधिकारी नौकरी करने के लिए नहीं जा पाता। क्योंकि वहाँ जाने के लिए सही तरह से रास्ता नहीं है। वहाँ पर आरोग्य की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नही है। आदिवासी विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते है, मगर अत्यावश्यक सुविधावों के तरफ अनदेखा किया जाता है। इस जनजति के लोगों को पूरी सुविधाए दी गई तो वहाँ पर शासन चलाना कठिन हो जायेगा। यह सोचकर येहाँ के राजनीति के व्यक्तियों द्वारा इस इलाखे में विकास की पूरी सुविधाओं का अंमल नहीं किया जाता है।

आदिवासी समाज उच्च वर्ग की व्यवस्था अनेक सालों से पीड़ित रहा है। उनका सभी अंगों से शोषण हुआ है। आदिवासी विभागों में शिक्षा देने के लिए आश्रम शालाओं का निर्माण किया गया है। मगर आश्रम शालाओं में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आश्रम शालाओं में बच्चों को खाने के लिए अच्छा खाद्यान्न नहीं मिलता है। रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। आश्रम शालाओं में अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं दी जाती है। आश्रम शालाओं में बच्चों का शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति होने के बाद बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे। इस तरह से जनजातीय बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता नहीं दिखाई देती है।

जनजातियों के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बहुत गंभीर है। जनजातीय लोगों के निवास तक जाने के लिए सही तरह से रास्ते न होने के कारण कई गंभीर बीमारियों में उन्हें अस्पताल तक जाने की सुविधा नहीं होती है। जंगली जानवरों का हमला होने पर या सांप काटने पर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल भी करीब 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। सरकारी अस्पताल है मगर वहां पूरी सुविधा का अभाव होता है। समय पर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ की नर्स ही दवाखाना चलाती है। इस तरह से कई सारे स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी आदिवासियों को करना पड़ रहा है।

आदिवासियों की आर्थिक स्थिति भी धीरे–धीरे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके जल, जंगल, जमीन पर सरकारी एवं गैरसरकारी संघठनों द्वारा उनकी अच्छी संपन्न जमीन उनसे विकास के नाम पर छीना जा रहा है। इसके माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई देती है। उनके जंगलों पर ठेकेदारों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उनके अशिक्षित होने का फायदा अमीर लोगों द्वारा उठाया जाता है। उनके ही जमीन पर उन्हें ही वेठबिगारी जैसे काम करना पड़ रहा है। उनके जंगलों से खनिज संपत्ती निकाली जा रही है। बड़े–बड़े कारखाने बनवाए जा रहे हैं। उस कारखाने में इन आदिवासियों के बच्चों को निचले दर्जे की काम पर रखा जा रहा है। इस तरह से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। इस कारण महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं में ज्यादा प्रमाण में तो आदिवासी किसानों की आत्महत्या होती हुई नजर आ रही है।

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

संविधान में आदिवासियों को राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण दिया गया है। मगर राजनीति में विशिष्ट वर्गों के नेताओं द्वारा आदिवासी लोगों के नेताओं को काम करना पड़ रहा है। राजनीति में आदिवासी नेताओं को उनके मन से और अधिकार से काम करने नहीं दिया जाता है। आदिवासियों की अलग पार्टी बनाई गई तो भी आदिवासियों में आपस में झगड़े लगाए जाते हैं। इसलिए उनको उनके जमाती के विकास के लिए काम करने में या निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा होती है।

मीडिया और संचार माध्यम को जनतंत्र का चौथा आधार माना जाता है। परंतु मीडिया के माध्यम से जनजातियों के समस्याओं का उनके विकास में आनेवाली कठिनाइयों की सही जानकारी विश्व के सामने लाकर उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इसके माध्यम से जनजातीय लोगों की समस्याओं को विश्व के सामने लाने का प्रयास होता हुआ दिखाई देता है। मगर पिछले आठ–दस महीनों में लाइफटाइम मुक्त में सिम कार्ड देने वाले मोबाइल कंपनियों द्वारा भी अपने नियमों में बदलाव करके उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, और इस पर सरकार का कोई भी बंधन नहीं है। इस तरह से बदलाव होने के माध्यम से गरीब लोग संचार साधनों का लाभ नहीं ले सकते और अपनी समस्याएं दूसरों तक पहुँचा नही पाते। इस तरह से संचार माध्यमों को बंद करके कई ऐसे मोबाइल कंपनियां बंद होती जा रही है। इस माध्यम से संचार मीडिया का जो गरीब लोगों पर प्रभाव हुआ था वह धीरे–धीरे खत्म होते जा रहा है।

निष्कर्ष

आदिवासी समाज आज की इस दौर में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जो इस जनजाति के अस्तित्व और पहचान के लिए अत्यंत खतरा है। इस समुदाय के लोगों से विकास के नाम से उनकी जल, जमीन, जंगल छिनी जा रही है। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद भी उन्हें उसी जंगल से बाहर निकालकर बेदखल किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों की बसावट से इस समुदाय की भाषा, संस्कृति, पर्यावरण लुप्त होने के कगार पर आ गई है। औद्योगिकरण के नाम से उनके जंगल को काटा जा रहा है। इस तरह से जंगल के वनऔषधी लुप्त होते जा रही है। जिसकी उन्होंने सदियों से रक्षा करते आए हैं। उन्हें गैर जनजातिय समुदाय की भाषा और तौर–तरीकों को नाइलाज के कारण अपनाना पड़ रहा है। इस तरह से आज उनकी भाषा को समझनेवाले, बोलनेवाले, सहेजनेवाले लोग दिन–ब–दिन बहुत ही कम होते जा रहे हैं। धीरे–धीरे आदिम समुदाय की अपनी पहचान रखनेवाली समरूप भाषा खत्म होती जा रही है। उनकी संस्कृति भी नहीं बच पा रही है। यही कारण है कि जनजातिय समुदाय की भाषा, कला, नृत्य, संगीत सीमित होती जा रही है। यहाँ तक कि जनजातीय समुदाय की धार्मिक मान्यताएँ भी परिवर्तित हो रही है। इस तरह से आज जरूरत है कि जनजातीय समुदाय को बचाने की उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, कला, साहित्य, पर्यावरण को जीवित रखने की। अगर आज इन सारी चीजों पर सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में जंगल की रक्षा करनेवाली कोई आदिम जनजाति थी जो बरसों से इस जंगल में जीवन यापन करती थी। इस तरह से इनका

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा इन को बचाना है तो सही तरह से आदिवासी के विकास को ध्यान में लेकर कई नीति बनाई जानी चाहिए, तब जाकर आदिवासियों का विकास हो सकता है।

संदर्भ

1.विधायनी मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय की त्रैमासिक शोध पत्रिका, (अक्टू.–दिस. 2008) भोपाल, वर्ष–26, अंक 04 पृ. 47.
2.तुमराम, विनायक (2016) 'आदिवासी और उनका निसर्ग धर्म' सुधीर प्रकाशन, वर्धा. पृ. 179

 Copyright © 2020 Authors